होली पर उत्तम नगर में हत्या का मामला

आरोपी के घर के अवैध हिस्सों को एमसीडी ने गिराया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 8 मार्च।

नगर निगम ने रविवार को उत्तम नगर में होली पर हुई झड़प मामले में एक आरोपी के घर के अवैध हिस्सों को गिरा दिया। इस झड़प में 26 वर्षीय युवक की मौत हो गई थी। पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी। इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है।

सूत्रों ने बताया कि नगर निगम के अधिकारी बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंचे और उन्होंने इमारत के केवल अवैध रूप से निर्मित हिस्सों को गिराया, न कि पूरे घर को। एमसीडी के अधिकारी इस मामले पर टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे। जेजे कालोनी इलाके में चार मार्च को तरुण (26) के परिवार और पड़ोसियों के बीच हुई झड़प में उसकी मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक, हिंसा तब भड़की जब तरुण के परिवार की एक लड़की द्वारा फेंके गए गुब्बारे का पानी उसके पड़ोसी के परिवार की एक महिला पर गिर गया। पुलिस ने बताया था कि दोनों परिवार पिछले पांच दशकों से एक-दूसरे को जानते थे और पार्किंग और कचरा निपटान जैसी चीजों को लेकर उनके बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। पुलिस ने बताया कि उन्होंने इस मामले में अब तक सात लोगों को गिरफ्तार किया है और एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया है।

प्राथमिकी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराएं और हत्या का आरोप जोड़ा गया है। आरोपियों की पहचान उमरदीन (49), जुम्मदीन (36), कमरुद्दीन (36), मुस्तैक (46), मुजफ्फर (25), ताहिर (18), इमरान उर्फ बंटी (38) के रूप में हुई है। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। पीड़ित के रिश्तेदार मान सिंह ने न्याय की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि योगी (यूपी के मुख्यमंत्री) के बुलडोजर माडल का इस्तेमाल किया जाए। उनके अवैध मकानों को ध्वस्त किया जाए और सभी अवैध निर्माणों को हटाया जाए। इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और शुक्रवार को गुस्साई भीड़ ने कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया तथा उनमें आग लगा दी, जिसके चलते भारी संख्या में पुलिस बल तैनात करना पड़ा।

तरुण हत्या मामले में आरोपी से जुड़ी संपत्ति पर चलाया गया बुलडोजर।

बुलडोजर कार्रवाई के दौरान इलाके में तैनात पुलिस बल।

इलाके में दुकानें बंद, बाजार सुनसान

तरुण की मौत के चार दिन बाद भी इलाके में दुकानें बंद हैं, बाजार सुनसान हैं और ईद से महज कुछ ही दिन पहले निवासी अपने रोजमर्रा के कार्यों को करने में परेशानी महसूस कर रहे हैं। घनी आबादी वाले इस इलाके में रमजान के महीने की सामान्य रौनक भारी पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती, अवरोधकों और आवाजाही पर प्रतिबंधों से फीकी पड़ गई है, जिससे ग्राहक बाजार से दूर हैं। निवासियों ने बताया कि इलाके का माहौल लाकडाउन जैसा है और लोग बाहर निकलने में हिचकिचा रहे हैं। उन्होंने बताया कि व्यावसायिक गतिविधियां लगभग ठप हैं।

आप ने पुलिस पर लगाया पक्षपात का आरोप

नई दिल्ली, 8 मार्च (संवाददाता)।

आम आदमी पार्टी (आप) के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने उत्तम नगर में मृतक तरुण के परिवार से मिलने की कोशिश के दौरान कथित पक्षपात का आरोप लगाया है। भारद्वाज ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर रविवार को पोस्ट करते हुए कहा कि वे परिवार से मिलने आए थे, लेकिन उपायुक्त ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके और मीडिया कर्मियों के सामने ही पुलिस ने भाजपा के 20 सदस्यों को मृतक के घर जाने की अनुमति दे दी।

तोड़फोड़ कार्रवाई सही: भाजपा

वहीं, दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोपी के परिवार का अवैध रूप से निर्मित मकान तोड़े जाने की कार्रवाई का स्वागत किया है। कहा कि यिह सही कार्रवाई आने वाले समय में ऐसे लोगों के लिए अच्छा सबक देने का काम करेगी।

एक करोड़ की रंगदारी मांगने का मामला

कोर्ट ने लारेंस बिश्नोई समेत तीन को आरोपमुक्त किया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 8 मार्च।

दिल्ली की एक अदालत ने कथित तौर पर एक करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में गिरोहबाज लारेंस बिश्नोई और दो अन्य को आरोपमुक्त कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष अपराध को साबित करने के लिए सबूत पेश करने में विफल रहा।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नूपुर गुप्ता ने रमन दीप सिंह की शिकायत पर सनलाइट कालोनी पुलिस थाने में आइपीसी की धारा 387 (जबरन वसूली के प्रयास में किसी व्यक्ति को मौत या गंभीर चोट का भय दिखाना) के तहत दर्ज एक मामले में लारेंस बिश्नोई, हरेन सरपदाड़िया और आशीष शर्मा को आरोपमुक्त कर दिया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि 23 और 24 अप्रैल 2023 की मध्यरात्रि के बीच उसे एक अज्ञात नंबर से फोन आने लगे, जिनमें उसे जान से मारने धमकी दी गई और उससे एक करोड़ रुपए की मांग की गई। जांच के बाद, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आइपीसी की धारा 386 (किसी व्यक्ति को जान से मारने या गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी देकर जबरन वसूली करना) और धारा 387 के साथ धारा 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप पत्र दाखिल किया। हालांकि, अदालत ने कहा कि आइपीसी की धारा 386 के तहत जबरन वसूली के अपराध के लिए मृत्यु या गंभीर चोट के भय को लेकर संपत्ति की वास्तविक सुपुर्दगी आवश्यक है जबकि इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। अदालत ने 20 फरवरी के अपने आदेश में कहा कि न तो शिकायतकर्ता ने धमकी के तहत संपत्ति की सुपुर्दगी का आरोप लगाया है और न ही पूरे आरोप पत्र में इसका उल्लेख किया गया है।

लारेंस बिश्नोई

संस्कृति मंत्रालय
भारत सरकार

समसामयिक अध्ययन केन्द्र
प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय
द्वारा आयोजित
सार्वजनिक व्याख्यान
फ्रेंच पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंडिया इन 18th सेंचुरी में
आप सादर आमंत्रित हैं।
वक्ता:
प्रो. अरविंद सिन्हा
पूर्व में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
दिनांक:–10 **मार्च** 2026, **समय अपराह्न** 3.00 **बजे**
स्थल :
संगोष्ठी कक्ष
प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय
तीन मूर्ति भवन, नई दिल्ली
सभी का स्वागत है।
आमंत्रण प्राप्त करने के लिए हमें ईमेल करें:
ccs2nmml@gmail.com
CBC 09142/12/0065/2526

वसूली प्रतिनिधि से चार लोगों ने नकदी लूटी

नई दिल्ली, 8 मार्च (संवाददाता)।

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में मोटरसाइकिल पर सवार चार अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर 27 वर्षीय एक वसूली प्रतिनिधि (कलेक्शन एजंट) से नकदी से भरा बैग लूट लिया। पीड़ित अविनाश ओल्ड सीलमपुर का निवासी है और चांदनी चौक क्षेत्र में एक कबाड़ व्यवसायी के लिए कलेक्शन एजंट के रूप में काम करता है। उन्होंने बताया कि यह घटना शनिवार को इलाके में एक बैंक एटीएम के पास हुई। पुलिस ने रविवार को बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है टीम तैनात कर दी गई हैं।

FORM No. INC-26
(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अंतर्गत)
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने हेतु समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन
केंद्रीय सरकार के समक्ष क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय I, नई दिल्ली कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (a) के संबंध में तथा **वेलियो कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड** के संबंध में, जिसका पंजीकृत कार्यालय D-248, ग्राउंड फ्लोर, गली नं. 10, लक्ष्मी नगर, मेट्रो स्टेशन के पास, नई दिल्ली–110092 पर स्थित है। ... **याचिकाकर्ता**
सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखती है, जिसमें दिनांक 05.03.2026 को आयोजित असाधारण सामान्य सभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन की सहमति प्राप्त की जानी है, ताकि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" राज्य से "राजस्थान" राज्य में स्थानांतरित कर सके।
जिस किसी व्यक्ति के हित पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह अपना आपत्ति-पत्र, अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के आधार का उल्लेख करते हुए शपथपत्र सहित, M C A - 2 1 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है, अथवा पंजीकृत डाक द्वारा निम्नलिखित पते पर भेज सकता है: क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय I, नई दिल्ली पता: B-2 विंग, द्वितीय तल,प. दीनदयाल अंत्योदय भवन,सीजीओ कॉम्प्लेक्स,नई दिल्ली–110003
यह आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह (14) दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए, तथा उसकी एक प्रति आवेदक कंपनी को उसके नीचे उल्लिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजी जानी चाहिए।
पंजीकृत कार्यालय: D-248, ग्राउंड फ्लोर, गली नं. 10,लक्ष्मी नगर, मेट्रो स्टेशन के पास,नई दिल्ली–110092
कृते एवं वास्ते :
वेलियो कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
स्थान: दिल्ली | मीना गुप्ता(निदेशक)
दिनांक: 05-03-2026 | DIN: 07541801

यूनियन बैंक Union Bank of India
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया शाखा, सी-4, कम्यूनिटी सेंटर सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया नई दिल्ली-110016
ईमेल: sda@unionbankofindia.bank.in
नीलामी सूचना
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया शाखा) द्वारा वित्तपोषित तथा संबन्धित चूककर्ता उधारकर्ता / गारंटर से जब्त किए गए निम्नलिखित वाहन बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। वाहन खरीदने के इच्छुक व्यक्ति वाहनों के भौतिक निरीक्षण तथा विवरण के लिए अधोहस्ताक्षरी से संपर्क कर सकते हैं।
इच्छुक क्रेता अपना प्रस्ताव पत्र, वाहन के बयाना राशि के रूप में रु. 21,700/– (इक्कीस हजार सात सौ रुपए मात्र) के वापसी योग्य / समायोज्य बैंकर्स चेक या भुगतान आदेश के साथ प्रस्तुत करेंगे, जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में होगा तथा ब्याज मुक्त बयाना राशि के रूप में दिल्ली में देय होगा।
इच्छुक क्रेता अपना प्रस्ताव सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करेंगे, जिसपर "वाहन संख्या DL3CCW8147 के क्रय हेतु कोटेशन" लिखा होना चाहिए तथा यह दिनांक 16.04.2026 (तिथि) को 04:00 PM (समय) बजे तक अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हो जाना चाहिए। सीलबंद कोटेशन दिनांक 17.04.2026 (तिथि) को 10:00 AM जव 04:00 PM (समय) बजे खोले जाएंगे तथा प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले इच्छुक क्रेता उस समय उपस्थित रह सकते हैं.
सफल बोलीकर्ताओं को कोटेशन खुलने की तिथि से 10(दस) कार्य दिवसों के भीतर या बैंक द्वारा बढाए गए किसी समय के भीतर उद्धृत मूल्य पूर्णतः जमा करना होगा, ऐसा न करने पर ईएमडी जब्त कर दी जाएगी।
वाहन की बिक्री "जैसा है और जहां है" के आधार पर की जाती है तथा उनकी बिक्री बैंक द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम में नहीं की जाएगी. अधोहस्ताक्षरी के पास, बिना कोई कारण बताए, सभी या किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है।

क्रं.	वाहन का विवरण (निर्माता, मॉडल, वर्ष)	पंजीकरण संख्या	आरक्षित मूल्य
1.	IGNIS DELTA MT MARUTI SUZUKI INDIA LTD REG NO: DL3CCW8147 ENGINE NO: K12MN4798608 CHASSIS NO: MA3NFG81SNJ371161	DL3CCW8147	रु. 2,17,000.00

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मो० : 9992051980

बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda
मौर्य एन्क्लेव शाखा, केपी-08, पीतमपुरा, दिल्ली 110034
फोन: 011-27318741, 27315184
ईमेल: MAUDEL@bankofbaroda.bank.in

गारंटर को नोटिस
[सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (2) के अंतर्गत]
सेवा में, **दिनांक: 20.02.2026**
1. **श्रीमती प्रीति कुमारी,** एफ–36 और आई–33 एएफएफ, पीछे बाईं ओर, डीके रोड, मोहन गार्डन, नई दिल्ली–110059
2. **श्री बिभु नारायण झा,** एफ–36 और आई–33 एएफएफ, पीछे बाईं ओर, डीके रोड, मोहन गार्डन, नई दिल्ली–110059

महोदया,
विषयः मेसर्स पीबीएस फुटवियर जोन प्राइवेट लिमिटेड को दी गई क्रेडिट सुविधाओं के लिए आपकी गारंटी।
जैसा कि आप जानते हैं, आपने **31.01.2024** की गारंटी के द्वारा मेसर्स पीबीएस फुटवियर जोन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा हमें देय या भविष्य में देय सभी राशियों के मांग पर भुगतान की गारंटी दी है और 38.00 लाख रुपये की कुल क्रेडिट सीमा के लिए ब्याज सहित सभी दायित्वों और देनदारियों का निर्वहन करने की गारंटी दी है, जिसका विवरण उक्त गारंटी दस्तावेज में विस्तार से दिया गया है।
हमें आपको सूचित करना है कि उधारकर्ता ने अपनी देनदारियों के भुगतान में चूक की है और इसके परिणामस्वरूप उसके खाते को गैर–निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हमारे द्वारा उधारकर्ता को भेजे गए वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत दिनांक 20/02/2026 के नोटिस की एक प्रति संलग्न है। चूंकि उधारकर्ता ने चूक की है, अतः गारंटी के संदर्भ में आप हमें कुल **रु. 40,67,376.20/–(चालीस लाख सड़सठ हजार तीन सौ छिहत्तर हजार बीस पैसे मात्र)** + अन्य बैंक बकाया की ऋण/ऋण सुविधाओं की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो गए हैं और हम इसके द्वारा गारंटी का आह्वान करते हैं और आपसे इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर उक्त राशि का भुगतान करने के लिए कहते हैं। कृपया ध्यान दें कि उधारकर्ता को दी गई सूचना दिनांक 20/02/2026 के पैरा 1 में निर्दिष्ट दरों पर ब्याज लगता रहेगा (प्रतिलिपि संलग्न)।
हम आगे आपको सूचित करना चाहते हैं कि उधारकर्ता द्वारा ऋणों और अग्रिमों के देय पुनर्भुगतान के लिए आपके गारंटी दायित्वों को सुरक्षित करने के लिए आपके द्वारा प्रदान की गई प्रतिभूति के संबंध में, कृपया 60 दिनों के इस नोटिस को वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 के उप–धारा (2)के तहत नोटिस के रूप में माना जा सकता है। हम आपको आगे यह भी नोटिस देते हैं कि भुगतान की तारीख तक ब्याज के साथ उपरोक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, हम उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे। जिस पर कृपया ध्यान दें।
हम आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (13) की ओर आकर्षित करते हैं, जिसके अनुसार हमारी पूर्व लिखित सहमति प्राप्त किए बिना, आपको बिक्री, पट्टे या अन्यथा (सामान्य कार्यवाही के अलावा अन्य) के माध्यम से ऊपर पैरा 1 में संदर्भित किसी भी प्रतिभूति संपत्ति को स्थानांतरित करने से रोक दिया गया है। हम यह जोड़ सकते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) में निहित उपरोक्त प्रावधान का अनुपालन न करना, अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है।
हम आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) की ओर भी आकर्षित करते हैं, जिसके अनुसार सार्वजनिक नीलामी/उद्धरण आमंत्रित करने/निविदा/निजी संधि के लिए नोटिस के प्रकाशन की तिथि से पहले आपके द्वारा किसी भी समय यदि बैंक द्वारा किए गए सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ देय राशि की राशि जमा की जाती है तो आप प्रतिभूति संपत्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि उपरोक्तानुसार नोटिस के प्रकाशन के बाद, आपके पास प्रतिभूति संपत्तियों को भुनाने अधिकार उपलब्ध नहीं होगा।
कृपया ध्यान दें कि यह मांग नोटिस पूर्वाग्रह के बिना है और किसी भी अन्य अधिकारों या उपायों की छूट के रूप में निर्मित नहीं किया जाएगा, जिसमें बिना किसी सीमा के, हमारे लिए बकाया राशि के संबंध में आगे की मांग करने का अधिकार शामिल है।
भवदीय,
(मुख्य प्रबंधक) अधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda
मौर्य एन्क्लेव शाखा, केपी-08, पीतमपुरा, दिल्ली 110034
फोन: 011-27318741, 27315184
ईमेल: MAUDEL@bankofbaroda.bank.in

ऋणकर्ता को सूचना
[सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (2) के अंतर्गत]
सेवा में, **दिनांक: 20.02.2026**
1. **मेसर्स पीबीएस फुटवियर जोन प्राइवेट लिमिटेड,** जीएफ डी 3/17 कृष्णा नगर, नई दिल्ली –110051
पताः एफ–36 और आई–33 एएफएफ बैक साइड एलएचएस, डीके रोड, मोहन गार्डन, नई दिल्ली– 110059

प्रिय महोदय/महोदया
विषयः हमारी मौर्य एन्क्लेव शाखा (खाता संख्या 1904050000030) के साथ ऋण सुविधाएँ।
1. हम अपने स्वीकृति पत्र संख्या 125 दिनांक 31.01.2024 का उल्लेख करते हैं जिसमें विवि ध क्रेडिट सुविधा की मंजूरी और मंजूरी की शर्तें बताई गई हैं। उपरोक्त स्वीकृति के अनुसरण में आपने ऋण सुविधा का लाभ उठाया है और इसके लिए प्रतिभूति प्रदान करने के बाद इसका उपयोग करना शुरू कर दिया है, जैसा कि आगे बताया गया है। ऋण खाते में वर्तमान बकाया और ऐसी देयता के लिए सृजित सुरक्षा हित निम्नानुसार हैं:

कं. सं.	सुविधा की प्रकृति और प्रकार	सीमा	ब्याज दरें	दिनांक 14.02.2026 तक बकाया (अनुबंध के अनुसार देय राशि) (14.02.2026 तक के ब्याज सहित)	प्रतिभूति के संक्षिप्त विवरण के साथ प्रतिभूति समझौता
1.	नकद ऋण	रु. 38,00,000/– (केवल अड़तीस लाख रुपये)	वर्तमान ब्याज दर 12.00%, जो कि बीआरएलएलआर 7.90% (वर्तमान में), रणनीतिक प्रीमियम 0.25% (वर्तमान में), क्रेडिट स्प्रेड 3.85% (वर्तमान में) और जोखिम प्रीमियम 0.00% (वर्तमान में) का योग है।	रु. 40,67,376.20/– (केवल चालीस लाख सड़सठ हजार तीन सौ छिहत्तर हजार बीस पैसे)	फर्म के स्टॉक और बही खातों के ऋणों का बंधक। CERSAI आईडी– 400070960192

2. दिनांक **31.01.2024** के स्वीकृति पत्र में आपने **31.01.2024** तक बैंक के प्रति अपनी **38,00,000/– रुपये (केवल अड़तीस लाख रुपये)** की देनदारी स्वीकार की है। ऊपर उल्लिखित बकाया राशि में 14.02.2026 तक के अतिरिक्त आहरण और ब्याज शामिल हैं।
3. जैसा कि आपको ज्ञात है, आपने उपरोक्त ऋणों/बकाया राशि पर पिछले 90 दिनों से ब्याज के भुगतान में चूक की है, जिसका भुगतान 26.06.2025 और उसके बाद देय है।
4. आपके द्वारा की गई चूक के परिणामस्वरूप, आपके ऋण खाते को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों और दिशानिर्देशों के अनुसार **24.09.2025** को गैर–निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हमारे बार–बार अनुरोध और मांगों के बावजूद आपने बकाया, उस पर ब्याज सहित ऋण का भुगतान नहीं किया है।
5. उपरोक्त पैरा 1 में उल्लिखित विभिन्न प्रतिभूतियों द्वारा विधिवत रूप से सुरक्षित क्रेडिट सुविधाओं के संबंध में आपकी देनदारियों को पूरा करने में आपकी अक्षमता और आपके खाते को गैर–निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत करने के संबंध में, हम आपको वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप–धारा (2) के तहत नोटिस देते हैं और इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर आपसे बैंक को अपनी देनदारियों और पैरा 1 में अधिकथित अनुसार कुल **40,67,376.20/– रुपये (चालीस लाख सड़सठ हजार तीन सौ छिहत्तर हजार बीस पैसे मात्र)+ लागत, शुल्क और व्यय, यदि कोई हो,** का पूरा भुगतान करने को कहा गया है। हम आपको आगे यह भी नोटिस देते हैं कि भुगतान की तिथि तक ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ उपरोक्त राशि के भुगतान में विफल रहने पर, हम उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे जिसपर आप कृपया ध्यान दें।
6. कृपया ध्यान दें कि जब तक पूरा भुगतान नहीं हो जाता, तब तक प्रत्येक क्रेडिट सुविधा के लिए ऊपर पैरा 1 में निर्दिष्ट दरों पर ब्याज लगता रहेगा।
7. हम आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) की ओर आकर्षित करते हैं, जिसके अनुसार हमारी पूर्व लिखित सहमति प्राप्त किए बिना, आपको बिक्री, पट्टे या अन्यथा (सामान्य कार्यवाही के अलावा अन्य) के माध्यम से ऊपर पैरा 1 में संदर्भित किसी भी प्रतिभूति संपत्ति को स्थानांतरित करने से रोक दिया गया है। हम यह जोड़ सकते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) में निहित उपरोक्त प्रावधान का अनुपालन न करना, अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है।
8. हम आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) की ओर भी आकर्षित करते हैं, जिसके अनुसार सार्वजनिक नीलामी/उद्धरण आमंत्रित करने/निविदा/निजी संधि के लिए नोटिस के प्रकाशन की तिथि से पहले आपके द्वारा किसी भी समय यदि बैंक द्वारा किए गए सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ देय राशि की राशि जमा की जाती है तो आप प्रतिभूति संपत्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि उपरोक्तानुसार नोटिस के प्रकाशन के बाद, आपके पास प्रतिभूति संपत्तियों को भुनाने अधिकार उपलब्ध नहीं होगा।
9. कृपया ध्यान दें कि यह मांग नोटिस पूर्वाग्रह के बिना है और किसी भी अन्य अधिकारों या उपायों की छूट के रूप में निर्मित नहीं किया जाएगा, जिसमें बिना किसी सीमा के, हमारे लिए बकाया राशि के संबंध में आगे की मांग करने का अधिकार शामिल है।

भवदीय,
(मुख्य प्रबंधक) अधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

PUBLIC NOTICE

Public at large is hereby informed & cautioned that Land measuring 100 Acre, bearing Survey No. 1 (P), 2(P), 3(P), 4(P), 5, 7, 8, 9, 10(P), 11(P), 12 (P), 13 (P), 15/2 (P) situated at Village Palepalem, Survey No. 64 (P), 65 (P), 66 (P), 67 in Koneti Pajupalem, Survey No. 326 (P), 327 (P) in Village Menakur, situated in Special Economic Zone (SEZ) at Naidupet, District Nellore, Andhra Pradesh is leased out to PEL Asset & Infrastructure Ltd. by Andhra Pradesh Industrial & Infrastructure Development Corporation Limited/APIIDC (Paramount Lessor) and is not validly mortgaged/ charged with Punjab National Bank (PNB) in absence of mandatory permission to mortgage from APIIDC. The auction scheduled by PNB on 12.03.2026 is without any valid mortgage/ charge and is null and void. This public auction is sub-judice and is a subject matter of pending cases (SA No. 374 of 2026 and SA No. 39 of 2025) before Hon'ble Debt Recovery Tribunal-II, New Delhi. Prospective bidders are cautioned to verify the details and encumbrances.

For **PEL Asset & Infrastructure Ltd.**

09-03-2026
Authorised Signatory

pnb पंजाब नैशनल बैंक ....भरोसे का प्रतीक | punjab national bank ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा, दक्षिण दिल्ली, 4वां तल, 7, भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली–110066
ईमेल: cs4166@pnb.bank.in

अचल सम्पत्तियों की ई–नीलामी हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस,
आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का सांकेतिक/वास्तविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार), प्रतिभूत लेनदार पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा। बकाया राशि की वसूली, कर्जदार(रों) और गारंटर(रों), आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार
प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री की अनुसूची

क्र. सं.	शाखा का नामः / खाते का नामः / उधारकर्ता/गारंटर/ खाते का नाम और पताः	बंधक रखी गई अचल संपत्ति का विवरण/ मालिक का नाम (संपत्तियों का बंधककर्ता)	(A) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि (B) मांग सूचना के अनुसार राशि (C) सरफैसी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा की तिथि (D) कब्जा की स्थिति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	(A) आरक्षित मूल्य (B) ईएमडी (ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि) (C) बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि एवं समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात एन्कम्ब्रेन्स का विवरण	प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं नं.
1	(पूर्व में ए–ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली) मेसर्स मनेरी आइसक्रीम (उधारकर्ता) ई–94, जीएफ, ग्रेटर कैलाश–1, नई दिल्ली–110048 मेसर्स मनेरी आइसक्रीम, प्लॉट नंबर–42, औद्योगिक क्षेत्र फूड पार्क, मनेरी जिला मंडला (एमपी)– 481885 सुश्री अनामिका मित्तल, (मालिक) एच नंबर– ई–94, जीएफ, ग्रेटर कैलाश–1, नई दिल्ली–110048	साम्यिक बंधक/पंजीकृत बंधक परियोजना भूमि एवं भवन पर, क्षेत्रफल 3300 वर्ग मीटर, प्लॉट सं. 42, फूड पार्क–मंडला, मनेरी, जिला मंडला में स्थित (मेसर्स मनेरी आइसक्रीम के नाम पर एक नामित फूड पार्क जबलपुर, मध्य प्रदेश, उपरोक्त इकाई में प्लांट एवं मशीनरी के साथ	A) 09.05.2022 B) Rs. 544.47 लाख + ब्याज + प्रभार इत्यादि C) 14.12.2022 D) सांकेतिक	A) रु. 374.20 लाख B) रु. 38.00 लाख (ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि) 26.03.2026 C) रु. 1,00,000/- लाख	27.03.2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	संपत्ति पर कोई रोक नहीं है	श्रीमती दि्वंकल नैन 9802927574
2	(पूर्व में ए–ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली) मेसर्स पारस मिल्क एंड फूड कॉर्पोरेशन (उधारकर्ता) पंजीकृत कार्यालयः बीबी–17, बेसमेंट, ग्रेटर कैलाश एन्क्लेव II, नई दिल्ली–110048 मेसर्स पारस मिल्क एंड फूड कॉर्पोरेशन फैक्ट्रीः प्लाट नंबर–43, इंडस्ट्रियल एरिया फूड पार्क, मनेरी, जिला मंडला, मध्य प्रदेश–481885 श्री पवनदीप छाबड़ा (प्रो.) पारस होटल, राईट टाउन, जबलपुर, मध्य प्रदेश–482001 श्री पवनदीप छाबड़ा 1415 (366), मदन महल, गुप्तेश्वर रोड, जबलपुर, मध्य प्रदेश–482003 श्री अवदेश मित्तल (गारंटर) मकान नं. ई–94, जीएफ, ग्रेटर कैलाश–1, नई दिल्ली–110048	साम्यिक बंधक/पंजीकृत बंधक परियोजना भूमि एवं भवन पर, क्षेत्रफल 3300 वर्ग मीटर, प्लॉट सं. 43, फूड पार्क–मंडला, मनेरी, जिला मंडला में स्थित (मेसर्स पारस मिल्क एवं फूड कार्पोरेशन के नाम पर एक नामित फूड पार्क जबलपुर, मध्य प्रदेश, उपरोक्त इकाई में प्लांट एवं मशीनरी के साथ	A) 08.02.2023 B) Rs. 295.80 लाख + ब्याज + प्रभार इत्यादि C) 10.08.2023 D) सांकेतिक	A) रु. 582.47 लाख B) रु. 60.00 लाख (ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि) 26.03.2026 C) रु. 1,00,000/- लाख	27.03.2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	संपत्ति पर कोई रोक नहीं है	श्रीमती दि्वंकल नैन 9802927574

ई–नीलामी बिक्री के संक्षिप्त नियम एवं शर्तें : बिक्री, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। 1. नीलामी बिक्री "ई–नीलामी" पोर्टल **https://baanknet.com** के माध्यम से ऑनलाइन होगी। (2) ई–नीलामी के लिए प्लेटफॉर्म (**https://baanknet.com**) ई–नीलामी सेवा प्रदाता मेसर्स पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट 1, तीसरी मंजिल, VIOS कमर्शियल टॉवर, वडाला ट्रक टर्मिनल के पास, वडाला ईस्ट मुंबई–400037 (हेल्पडेस्क न. 91 8291220220), द्वारा प्रदान किया जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को ई–नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाइट **https://baanknet.com** पर ई–नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना आवश्यक है। यह सेवा प्रदाता पोर्टल पर ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रदर्शन/प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा। (3) बिक्री की सामान्य शर्तों और नियमों से युक्त बिक्री नोटिस निम्नलिखित वेबसाइटों/वेब पेज पोर्टल **(1) https://baanknet.com (2) www.pnbindia.in** पर उपलब्ध/प्रकाशित है। (4) सफल बोलीदाता द्वारा बैंक को बिक्री प्रतिफल का भुगतान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194–1ए के अंतर्गत टीडीएस के अधीन होगा तथा सफल बोलीदाता द्वारा बोली राशि का शेष 75: जमा करने/बोली राशि की पूर्ण जमा करने के समय ही टीडीएस का भुगतान किया जाना है। (5) संपत्तियों को "जहां है जैसी है" और "जो है जैसी है" तथा "जो भी है जैसी है" के आधार पर बेचा जा रहा है। (6) उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। (7) सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के तहत नोटिस, और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ क्र. सं. 01 से क्र. सं. 02 तक के सभी मामलों में जारी किया गया है, (8) बिक्री की विस्तृत शर्तों के लिए, कृपया **https://baanknet.com & www.pnbindia.in** देखें।

दिनांक : **07.03.2026**, स्थान : नई दिल्ली | प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक